प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 01.11.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक कराया जायेगा ।

उक्त पुनरीक्षण/अभियान के अन्तर्गत निम्न तिथियों में दावे/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों/स्थलों पर विशेष अभियान आयोजित कराये जायेंगे ।

विशेष अभियान तिथियां

1–दिनांक 07.11.2021 दिन रविवार **3–दिनांक 21.11.2021** दिन रविवार
2–दिनांक 13.11.2021 दिन शनिवार **4–दिनांक 27.11.2021** दिन शनिवार

उक्त पुनरीक्षण अवधि में 01 जनवरी, 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिक अथवा ऐसे सभी अर्ह नागरिक जो यहां के निवासी है, परन्तु उनके नाम अभी तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित नही हो सके हैं, ऐसे सभी नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाएं ।

इसी प्रकार मतदाता सूची में सम्मिलित मृत, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट (डबल) या अनर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से अपमार्जित कराएं जायें ।

यदि किसी मतदाता के नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन की आवश्यकता है तो अपना संशोधन करा ले।

जो मतदाता एक ही विधान सभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से किसी अन्य मतदेय स्थल पर शिफ्ट हो गये है, ऐसे मतदाता अपना नाम स्थानान्तरित करा लें।

इस संबंध में प्रयोग किये जाने वाले फार्मो का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	फार्म संख्या	विवरण
1	फार्म–6	नाम सम्मिलित कराने के लिए
2	फार्म–6क	प्रवासी भारतीयों के लिए
3	फार्म–7	मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए
4	फार्म–8	नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन कराने के लिए
5	फार्म–8क	एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानान्तरित कराने के लिए ।

साथ ही सभी निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में बैठक आयोजित करके उसमें मतदाता सूची पढ़ी जाये और प्रत्येक स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत में 18–19 वर्ष के नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराये जांये तथा ऐसे मतदाता जो मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट या अनर्ह है उनके नाम मतदाता सूची से अपमार्जित कराने की कार्यवाही करायी जाये ।

इसी प्रकार सभी बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर सत्यापन करके सभी दिव्यांगों एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराकर उनकी टैगिंग भी करायी जाये ।

आज दिनांक 30.10.2021 को स्वीप एवं ई0एल0सी0 की कोर कमेटी के साथ बैठक आयोजित कर सभी समिति मे सम्मिलित सदस्यों को निर्देशित किया गया कि समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए रोस्टर तैयार करके, तैयार रोस्टर के अनुसार चुनाव पाठशाला आयोजित कराते हुए शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी अर्ह भारतीय नागरिकों विशेष रूप से युवाओं एवं महिलाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये ।

इसी प्रकार सभी आर0डब्लू0ए0 के साथ भी बैठक आयोजित कर उनके माध्यम से सभी सोसाइटियों में रहने वाले सभी अर्ह भारतीय नागरिकों जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है के फार्म ऑनलाइन भरवाकर नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये ।

सभी बी0एल0ओ0 एवं सुपरवाइजरों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहने पाये ।

सभी अर्ह नागरिकों एवं मतदाताओं से अनुरोध है कि कृपया एन0वी0एस0पी0 पोर्टल पर जाकर अथवा अपने–अपने मोबाईलों में वोटर हेल्प लाइन ऐप (VHA) डाउनलोड करके भी ऑनलाइन आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते है।

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः 1034/29–एफ0एल0सी0/2021 दिनांक 31 अक्टूबर, 2021

पत्रांक व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने–अपने विभागों/कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइलों पर वोटर हेल्प लाइन ऐप डाउनलोड कराकर सभी अर्ह व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करायेंगे ।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद–गौतमबुद्धनगर ।
4. समस्त सहायक/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद–गौतमबुद्धनगर ।
5. समस्त अध्यक्ष/महा सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल जनपद–गौतमबुद्धनगर
6. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति समस्त स्थानीय/दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करायेंगे ।
7. समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिला निर्वाचन कार्यालय, गौतमबुद्धनगर ।

31/10/2021

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर ।